न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 28/2019

हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा 4, माधव विहार सोभागपुरा उदयपुर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 3-10-2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिाकरी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 19-5-2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

1-आराजी खसरा न. 141/10 की सुपुर्दगी के समय तहसील मालपुरा ने किस नक्शे व तकनीक के आधार पर Measurement किया कि वास्तविक 16 बीघा भूमि पर तहसील ने 19 बीघा का आवंटन कर दिया ? इसका विवरण विस्तार से Annexure A में पुख्ता दस्तावेजों के साथ दिया गया है।

2-क्या 141/10 के सुपुर्दगी के समय तहसील मालपुरा की कोई टीम मौके पर उपस्थित थी, अगर उपस्थित थी तो उनके द्वारा Measurement दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान करे, जिसमें तहसील मालपुरा द्वारा लिया गया Measurement सन्दर्भ रेखा/ बिंदु (Reference line / point) अंकित किया हुआ हो।

3-आराजी खसरा न. 141/7 के सीमाज्ञान के लिए प्रार्थी श्री सुरेश कुमार शर्मा ने दिनांक 4-4-2018 को तहसील मालपुरा, तथा 8-5-2019 ग्राम सभा, मोरला में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज तक क्या Action लिया गया है ?

4- अगर सीमाज्ञान के लिए Action लिया जायेगा तो कृपया उसकी समय सीमा निर्धारित करके अवगत करायें कि सीमाज्ञान एवं शीट में 15 बीघा की तरमीम कब तक किया जावेगा ?

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2864 दिनाक 18–9–2019 से अवगत करवाया है आवेदक को पत्र क्रमांक 2837 दिनाक 16–9–2019 से सूचित कर दिया गया था कि वह सूचना प्राप्त करने हेतु आवण्टी का नाम आवण्टन दिनांक व वर्ष अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ताकि पत्रावली तलाश कर आपका सूचना उपलब्ध करवाई जा सके, किन्तु अवेदक द्वारा उक्त सूचना प्राप्त करने को कोई प्रयास नहीं किया तथा न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने बाबत सूचित किया जा चुका है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.26 11:35:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: